

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-01/उ०नि० प्रतिनियुक्त-05-06/18

आदेश

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित निम्नलिखित कर्मियों को कार्यहित में उनके नाम के सामने कॉलम-05 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मियों का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रतिनियुक्ति का कार्यालय
1.	श्री कार्तिक कुमार, उद्योग विस्तार पदाधिकारी	जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ।	जिला उद्योग केन्द्र, अररिया।
2.	श्री कुमार प्रताप शौर्य, उद्योग विस्तार पदाधिकारी	जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर	जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा।

2. उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-2472 दिनांक-28.06.19 द्वारा श्री सुनील कुमार, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के जिला उद्योग केन्द्र, अररिया में किये गये स्थानान्तरण को स्थगित किया जाता है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/पटना, दिनांक

सं०सं०-01/उ०नि० प्रतिनियुक्त-05-06/18

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, समस्तीपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

3495

/पटना, दिनांक

09.09.19

सं०सं०-01/उ०नि० प्रतिनियुक्त-05-06/18

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ/अररिया/समस्तीपुर/मधेपुरा/उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना तथा संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ एवं समस्तीपुर को निदेशित किया जाता है कि प्रतिनियुक्त कर्मियों को अविलंब विरमित करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।